न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2015RAAJu223RTA077 Kishansingh etc Vs Rawalsingh etc

1. किशनसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपुरोहित
2. शंकरसिंह पुत्र बादरसिंह राजपुरोहित
निवासी कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. रावलसिंह पुत्र अनोपसिंह राजपुरोहित निवासी जेठानिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनराम सेवग, निवासी सेतरावा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
3. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्दलाल सेवग, निवासी सेतरावा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
4. कंवरलाल पुत्र जसराज, निवासी सेतरावा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
5. जाकिर हुसैन पुत्र अल्लाबक्स मुसलमान, निवासी देचू तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
6. खेतसिंह पुत्र अनोपसिंह राजपुरोहित, निवासी हाल जेठानिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
7. लेहरकंवर पत्नी तुलछसिंह, निवासी हाल जेठानिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
8. अमानसिंह पुत्र रामसिंह, निवासी हाल जेठानिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
9. सामंतकंवर पत्नी अनोपसिंह राजपुरोहित, निवासी हाल जेठानिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
10. सायर कंवर पत्नी जसवंतसिंह राजपुरोहित, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
11. रावलसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12. चन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
13. देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
14. अगरकंवर पत्नी भंवरसिंह राजपुरोहित, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
15. किशोरसिंह पुत्र सुजानसिंह, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
16. आईदानसिंह पुत्र सांगसिंह, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
17. गुमानसिंह पुत्र सांगसिंह, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
18. घेवरसिंह पुत्र सांगसिंह, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
19. अजबकंवर पत्नी सांगसिंह, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
20. अमानसिंह पुत्र जीवराजसिंह के कायममुकामान-
    a. ओमप्रकाश पुत्र अमानसिंह
    b. हेमीकंवर पत्नी ओमप्रकाश

    निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
21. नखतसिंह पुत्र जीवराजसिंह, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
22. रेवन्तसिंह पुत्र जीवराजसिंह, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

23. पदमसिंह पुत्र जीवराजसिंह, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
24. जगमालसिंह पुत्र जीवराजसिंह, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
25. टीपूकंवर पुत्री जीवराजसिंह, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
26. माधोसिंह पुत्र गोमदसिंह, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
27. भेरूसिंह पुत्र टीकमसिंह, निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर बालेसर दिनांक 04 मार्च 2015 राजस्व वाद संख्या 136/2010 किशनसिंह व अन्य बनाम रावलसिंह इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सुगनमल परिहार एवं श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री उम्मेदसिंह बांवरला, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 28

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिसम्बर 2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर बालेसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 136/2010 किशनसिंह व अन्य बनाम रावलसिह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 04 मार्च 2015 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 15 अक्तूबर 2015 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम कनोडिया पुरोहितान स्थित निम्नलिखित आराजियात वादीगण-अपीलाण्ट्स एवं प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 01 व 06 से 27 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि होना जाहिर करते हुए प्रस्तुत किया :--

क.	खसरा	बीघा	बिस्वा	
1	109	05	10	
2	169	02	09	
3	305	69	10	
4	548	48	09	
5	569	13	04	
6	622	343	04	
7	624	08	10	
8	625	01	10	
9	626	31	16	
10	651/1	65	02	
11	669	78	12	
12	730	01	01	
13	832	29	14	
14	649	47	16	

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

और वादग्रस्त आराजियात का माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन किये जाने एवं तदनुसार स्थायी निषेघाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 की ओर से उक्त वाद का जबाब पेश कर उक्त आराजियात में से खसरा संख्या 622 रकबा 343 बीघा 04 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 ने प्रतिवादी संख्या 01 से जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 09 जून 2010 को कय कर कब्जा प्राप्त किया है। दिनांक 04 मार्च 2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा सहमति के आधार पर स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिकी जारी की गयी, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी आपसी सहमति के आधार पर पारित किया जाना आदेशिका दिनांक 04 मार्च 2015 में अंकित किया है, मगर पत्रावली पर ऐसा कोई सहमति का दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं है। इतना ही नहीं, मामले में परस्पर विरोधाभास भी स्पष्ट सामने आता है, एक ओर जहॉ आदेशिका दिनांक 04 मार्च 2015 के अनुसार प्रकरण सहमति के अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर डिकी जारी किया जाना लिखा गया है वहॉ दूसरी ओर अपीलाधीन निर्णय में अधिवक्तागण की बहस सुने जाने का उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद निर्णय की स्टेज पर था ही नहीं, अपितु अन्य प्रतिवादीगण द्वारा जबाब पेश करने हेतु पत्रावली चल रही थी, अन्य प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदावा पेश किया जाना बाकी था, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार का कोई राजीनामा अथवा अन्य प्रतिवादीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत हुए अपीलाधीन निर्णय मनमाने ढंग से पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-रेस्पो. एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हो चुका था, बकाया प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावा हेतु प्रकरण लम्बित चल रहा था। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व 6 से 25 की संयुक्त खातेदारी की होना जाहिर करते हुए माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गयी, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा में उक्त आराजियात में से खसरा संख्या 622 में से स्वयं द्वारा जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख भूमि कय कर कब्जा प्राप्त करना जाहिर किया गया, स्वयं भी वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार होना बताया गया। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 द्वारा प्रस्तुत उक्त जबाबदावा इकबाली जबाबदावा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अन्य कोई राजीनामा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 04 मार्च 2015 में " ... दावा सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है प्राथमिक डिकी जारी हो..." का कोई आधार अस्तित्व में होना नहीं पाया जाता है।

अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी आधारहीन होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का प्रश्न है, जहॉ अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी सर्वथा आधारहीन हो, वहॉ मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर किसी पक्षकार के लिए न्याय प्राप्ति का मार्ग अवरूद्ध किया जाना ***travesty of justice*** के समान है। अतः अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता की बहस, प्रकरण के तथ्यों एवं मियाद-प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में अंकित वजूहात पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है और गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 04 मार्च 2015 अपास्त किये जाते है और प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी प्रतिवादीगण से जबाबदावा पत्रावली पर लिया जावे और तदनुसार तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे और नियमानुसार तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए दो माह की अवधि में प्राथमिक डिकी जारी की जावे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 06 जनवरी 2020 को उपस्थित रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 13/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर